UPSP010071472022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर।

उपस्थितः– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे0ओ0कोड–यू.पी.1704)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–221/2022

एडवोकेट बाबूराम पुत्र दया किशन, निवासी मौहल्ला जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।

.....पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार।
2– करणवीर पुत्र लक्ष्मी चन्द,
3– कुनाल पुत्र कर्णवीर,
निवासीगण भण्डारी चूडी वाले के पास, जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
4– कमल शर्मा पुत्र मंगल सैन, हाल पता भण्डारी चूड़ी वाले के पास जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
5– सुनील नरैया पुत्र नामालूम, हाल पता बीनू पान वाली गली, तकिया जनक नगर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।

.....विपक्षीगण ।

निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्ता एडवोकेट बाबूराम द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0– 420/2020 बाबूराम बनाम कर्णवीर आदि में पारित आदेश दिनांकित 15.03.2022 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी का प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

2. जिस प्रकरण में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बाबूराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 विपक्षीगण के विरुद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 11.03.2020 को शाम करीब 04:30 बजे जब प्रार्थी बाबूराम पुत्र दया किशन अपने घर के अंदर अकेला था तभी सुनील नैरय्या, कर्णवीर, कमल शर्मा, कुनाल प्रार्थी के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। प्रार्थी ने दरवाजा खोलकर पूछा तो सभी ने बताया कि हम मौहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्य बना रहे हैं और 500/– रूपये सदस्यता शुल्क वसूल रहे हैं। इस पर प्रार्थी ने उनकी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनने और सदस्यता शुल्क देने से इंकार कर दिया तो सभी एकदम नाराज होकर भिन्न–भिन्न प्रकार की धमकियां देते हुए जबरदस्ती प्रार्थी के धर के अंदर घुस गये और जबरदस्ती सदस्यता लेने व सदस्यता शुल्क वसूलने का दबाव बनाने लगे। प्रार्थी के विरोध करने पर प्रार्थी को लात मुक्कों से मारना शुरू कर दिया और धमकी दी कि हम सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अगर सदस्यता न ली और शुल्क न दिया तो मौहल्ले में रहने नहीं देंगे और जबरदस्ती पकड़ कर प्रार्थी की जेब में से 100 रूपये के तीन नोट व 50 रूपये के पांच नोट कुल 550/– रूपये लूट लिये। शोर सुनकर मौके पर विनोद, आशीष आदि लोग वहां पर आ

गये, जिन्होंने छूट छुटाव कराया। छूट छुटाव के बाद सुनील नैरय्या, कमल शर्मा, कर्णवीर व कुनाल ने धमकी दी कि आज तो बच गया, आईन्दा मौके मिलने पर तुझे जाने से मार देंगे। प्रार्थी ने थाने पर व अन्य पुलिस अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन राजनैतिक प्रभाव के कारण प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। जिस पर प्रार्थी ने पुलिस कप्तान सहारनपुर को घटना का मुकदमा पंजीकृत कराने को प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से दिया है, परन्तु अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां व असल डाक रसीद संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर थानाध्यक्ष जनकपुरी, सहारनपुर को तफ्तीशी मुकदमा पंजीकृत करके कानूनी कार्यवाही करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

3. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी जिसके अनुसार कथित घटना के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। तत्पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 अपने आदेश दिनांकित 22.02.2021 के माध्यम से निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा पूर्व में एक पुनरीक्षण याचिका संख्या–243/2021 योजित की गयी। जिसको विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, सहारनपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 20.11.2021 के माध्यम से पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय को मामला पुनः सुनकर अग्रसारित करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले में प्रार्थी को पुनः सुनकर अपने आदेश दिनांकित 15.03.2022 के माध्यम से प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी द्वारा यह दाण्डिक पुनरीक्षण योजित की गयी है।

4. उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण निम्न आधारों पर योजित की गयी है कि अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित 15.03.2022 खिलाफ कानून व असल वाकात के विरुद्ध पारित किया गया है, इसलिए अवैध है व प्रत्येक दशा में खण्डित/निरस्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा घटना घटित होने के बाद थाना हाजा पर दी गयी तहरीर, पुलिस कप्तान सहारनपुर को दिये गये प्रार्थना एवं धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से प्रथम दृष्टया ही संज्ञेय अपराध बनता है, परन्तु अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया गया और प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। अवर न्यायालय द्वारा अंकित जिन विधि व्यवस्थाओं के आधार पर प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है, वह विधि व्यवस्था पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर लागू नहीं होती। विधि सिद्धान्त के आधार पर जिन मामलों में अपराधी का अधूरा नाम/पिता व नाम व पता अज्ञात है, उन मामलों में पुलिस विवेचना कराया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि सही नाम व पता विवेचना से ही सामने आ सकता है। उपरोक्त मामले में पुनरीक्षणकर्ता से अंकन 550/– रूपये की लूट विपक्षीगण सं0 2 ता 5 द्वारा की गयी है और लूटे गये धन की बरामदगी केवल विवेचना से ही हो सकती है, इसलिए विवेचना कराया जाना अति आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस सम्बन्ध में अनेकों बार दिशा निर्देश, विभिन्न नजीरे द्वारा पारित किये हैं, परन्तु अवर न्यायालय द्वारा किसी सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के तथ्यों व निगरानी न्यायालय के आदेश दिनांकित 21.11.2021 के अवलोकन किये बिना

ही रूटीन आदेश पारित करते हुए परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया। अतः पुनरीक्षण हाजा स्वीकार फरमायी जाकर अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित 15.03.2022 निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. उक्त पुनरीक्षण के विरुद्ध विपक्षीगण सं0–2 व 3 की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रतिआपत्ति प्रस्तुत की गयी।

6. पुनरीक्षण पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विपक्षी सं0–2 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित 15.03.2022 खिलाफ कानून व असल वाकात के विरुद्ध पारित किया गया है। धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से प्रथम दृष्टया ही संज्ञेय अपराध बनता है। उपरोक्त मामले में पुनरीक्षणकर्ता से अंकन 550/– रूपये की लूट की बरामदगी केवल विवेचना से ही हो सकती है, इसलिए विवेचना कराया जाना अति आवश्यक है। अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के तथ्यों व निगरानी न्यायालय के आदेश दिनांकित 21.11.2021 के अवलोकन किये बिना ही रूटीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया। अतः पुनरीक्षण स्वीकार कर विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विपक्षीगण सं0–2 ता 4 द्वारा मौखिक रूप से तर्क दिया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि संगत है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उक्त पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

9. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अनुसार उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी मजिस्ट्रेट दण्ड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किये गये निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 399 के अनुसार ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा 1 के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है।

10. इस प्रकार उपरोक्त धारा के अनुसार पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय के किसी आदेश की शुद्धता, वैधता अथवा औचित्य के बारे में अपना समाधान कर सकता है और इस प्रकरण हेतु अभिलेख मंगा सकता है।

11. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 15.03.2022 इस आधार पर पारित किया गया है कि प्रार्थी को विपक्षीगण के नाम व पते के बारे में पूर्ण जानकारी है तथा अपने मामले को साबित करने के लिए साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करा

सकता है। उक्त आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

12. विधि व्यवस्था ***Priyanka Srivastava v. State of UP (2015) 6 SCC 287*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट धारा 156(3) दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर, यदि प्रार्थनापत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध का कारित होना भी पाया जाता है, तब भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित करने के लिये बाध्य नहीं है तथा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0संहिता को परिवाद के रूप में दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***RamDev Food Products Ltd. v. State of Gujarat AIR 2015 SC 1742*** में निम्नवत् सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–

> "...the direction under Section 156(3) is to be issued, only after application of mind by the Magistrate. When the Magistrate does not take cognizance and does not find it necessary to postpone instance of process and finds a case made out to proceed forthwith, direction under the said provision is issued. In other words, where on account of credibility of information available, or weighing the interest of justice it is considered appropriate to straightaway direct investigation, such a direction is issued. Cases where Magistrate takes cognizance and postpones issuance of process are cases where the Magistrate has yet to determine "existence of sufficient ground to proceed."

14. उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि धारा 156(3) दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये स्वयं को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट करना आवश्यक है कि क्या इस प्रकरण में विवेचना कराये जाने की कोई आवश्यकता है। यदि वह यह आवश्यक समझता है कि किसी विनिर्दिष्ट प्रकरण में विवेचना कराये जाने की आवश्यकता है, तो वह धारा 156(3) दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत सम्बन्धित थाने से प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में विवेचना कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है। यदि वह अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करके यह उचित समझता है कि यह ऐसा प्रकरण है, जिसमें धारा 156(3) दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत विवेचना कराये जाने के स्थान पर अपराध का संज्ञान लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अन्तर्गत प्रायोजित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिये तब वो ऐसा करने के लिये भी स्वतन्त्र है। परन्तु यह प्रत्येक केस के विनिर्दिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट कौन सा विकल्प चुनता है तथा इसके लिये कोई *Straight jacket formula* प्रायोजित नहीं किया जा सकता है। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से यह परिलक्षित होना चाहिये कि उसके द्वारा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर विधि सम्मत विकल्प चुना गया।

15. परिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र अं0धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि दिनांक 11.03.2020 को शाम करीब 04:30 बजे विपक्षीगण सुनील नैरय्या, कर्णवीर, कमल शर्मा, कुनाल प्रार्थी के घर आये तथा बताया कि वे भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्य बना रहे हैं तथा 500/– रूपये सदस्यता शुल्क वसूल रहे हैं। प्रार्थी द्वारा उनकी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनने और सदस्यता शुल्क देने से इंकार

करने पर विपक्षीगण धमकियां देते हुए जबरदस्ती प्रार्थी के घर के अंदर घुस गये और जबरदस्ती सदस्यता लेने व सदस्यता शुल्क वसूलने का दबाव बनाने लगे। प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर उसके साथ लात मुक्कों से मारपीट करते हुए उसकी जेब से कुल 550/– रूपये लूट लिये तथा धमकी दी कि आईन्दा मौके मिलने पर तुझे जाने से मार देंगे।

16. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के नाम भी प्रस्तुत किये गये हैं। वह न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत कर मामला साबित कर सकता है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मामले में विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त न पाते हुए प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। **यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेट के पास अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन भी पुलिस अथवा किसी अन्य से विवेचना कराये जाने के क्षेत्राधिकार प्राप्त है।**

17. अतः प्रकरण के समस्त तर्क, तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिवादी के प्रार्थनापत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का आदेश दिनांकित 15.03.2022 पूर्णतया सही, न्यायोचित एवं विधिसम्मत् है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18. पुनरीक्षणकर्ता एडवोकेट बाबूराम की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण **निरस्त** की जाती है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक प्रकीण प्रार्थना पत्र संख्या–420/2020 बाबूराम बनाम कर्णवीर आदि के मामले में पारित आदेश दिनांकित 15.03.2022 की पुष्टि की जाती है।

19. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को इस निर्णय व आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

20. परिवादी अग्रिम कार्यवाही हेतु विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2026 को उपस्थित हो।

21. तदोपरान्त पुनरीक्षण पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनांक–09.07.2026

(निशान्त देव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–12, सहारनपुर।
JO Code–UP1704

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–09.07.2026

(निशान्त देव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–12, सहारनपुर।
JO Code–UP1704

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.09 16:28:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur